न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 276/17 (वाद)

1. श्री शिवदयालसिंह पिता उदयसिंह राणावत निवासी धनेरिया तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती विमला कुमारी पत्नी स्व. उदलसिंह उर्फ उदयसिंह राजपूत निवासी नागानगरी सुहागनवाडी उदयपुर हाल धनेरिया हवेली भट्टीयानी चौहटा, उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता वादी।
2. श्री विष्णु पाण्डेय, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 07.09.2020

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 किता 5 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में आराजी नम्बर 621 का साबिक आराजी नम्बर 129, आराजी नम्बर 658 का साबिक आराजी नम्बर 117, आराजी नम्बर 659 का साबिक आराजी नम्बर 116, आराजी नम्बर 660 जिसका साबिक आराजी नम्बर 118, आराजी नम्बर 661 जिसका साबिक आराजी नम्बर 118 मी. हैं।
2. यह कि मुझ वादी की माता उदयकुंवर जोजे महाराज साहब उदयसिंह जी राजपूत ने अपने जीवन काल में ही उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के पुराने मूल आराजी सं. 129, 117, 116, 118, 118 मी. सम्पूर्ण कृषि भूमि जरिये पंजीकृत दान पत्र दिनांक 19.06.1967 को दान कर दी उक्त दान पत्र का पंजीयन प्रमाण पत्र उप पंजीयन अधिकारी मावली द्वारा मुझ वादी के हक में जारी किया गया तभी मुझ वादी को कब्जा सिपूर्द किया गया। तभी से सन्

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:17:45 IST
Reason: SelfAttested

1967 से लेकर अब तक उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि मुझ वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। जिस पर प्रतिवादीयां का कभी कोई कब्जा नहीं रहा हैं। वादी का उपरोक्त आराजी पर करीब 50 वर्ष पुराना कब्जा हैं।

3. यह कि वादी की माता उदयकुंवर जोजे महाराज साहब उदयसिंह राजपूत ने उक्त वर्णित आराजीयात की वसीयत दिनांक 27.05.1982 को प्रतिवादीयां के हक में कर दी उक्त वसीयत में आराजी सं. बदले हुए थे जिसकी मुझ वादी को कोई जानकारी नहीं थी। जबकि उपरोक्त आराजी पुराने आराजी सं. से वादी को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 19.06.1967 में प्राप्त हुई तथा तभी से वादी उपरोक्त आराजी कृषि भूमि पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करना आ रहा हैं।
4. यह कि मुझ वादी की माता उदयकुंवर जोजे महाराज साहब उदयसिंह जी राजपूत ने वर्ष 19.06.1967 को वाद में वर्णित आराजी के मूल आराजी को जरिये पंजीकृत दान पत्र कब्जा सिपूर्द कर दान कर दी जिसका नामान्तरकरण अपने हक में कराना शेष रह गया। जिसके चलते मुझ वादी की माता ने अपनी वसीयत में उपरोक्त वर्णित आराजी के कालान्तर में बदले हुए आराजी को प्रतिवादीयां को वसीयत में लिख दिया जो कि एक पश्चातवृती कृत्य था क्योंकि मुझ वादीयां की माता उपरोक्त आराजीयात पूर्व में ही मुझ वादी को जरिये पंजीकृत दान पत्र दान कर कब्जा सिपूर्द कर चुकी थी। जिस पर अब मेरी माता उदयकुंवर जोजे महाराज साहब उदयसिंह जी राजपूत का कोई भी स्वामित्व एवं आधिपत्य शेष नहीं रहा था। जिससे प्रतिवादीया का उपरोक्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नहीं हैं। प्रतिवादीयां का के हक में उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में की गई वसीयत पश्चातवृती होने से वादी के दान पत्र के मुकाबले शून्य एवं बेअसर हैं।
5. अतः वाद में वर्णित आराजी जो कि प्रतिवादीया के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है, उपरोक्त आराजी सं. 621, 658, 659, 660, 661 कुल किता 6 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि का मुझ वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर वादी को खातेदार घोषित किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:17:45 IST
Reason: SelfAttested

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादी का वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।
7. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री शिवदयाल सिंह का पेश किया। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।
8. वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, मिलान खसरा प्रदर्श 2, दान पत्र प्रदर्श 3, वसीयत प्रदर्श 4, नामान्तरकरण प्रदर्श 5 पेश किया।
9. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दावा डिक्री किया जाने पर सहमति व्यक्त की।
10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 किता 5 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 विमला कुमारी के नाम दर्ज है जो दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श 1 है। उक्त भूमि के सेटलमेन्ट से पूर्व अन्य नम्बर थें जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज प्रदर्श 2 पेश किया जो निम्न है :–

क्र.स.	वर्तमान नम्बर	पूर्व साबिक नम्बर
1	621	129
2	658	117
3	659	116
4	660	118
5	661	118 मी.

11. उक्त भूमि पूर्व में वादी के माता उदयकुंवर जोजे महाराज साहब उदयसिंह के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को तत्कालीन खातेदार श्रीमती उदयकुंवर ने वादी के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र से दिनांक 19.06.1967 से दान कर दी गई जो

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:17:45 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज प्रदर्श 3 है। उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादी के पक्ष में नही हुआ, एवं सेटलमेन्ट से भूमि के नये नम्बर पड गये। उक्त भूमि को पुनः खातेदार श्रीमती उदयकुंवर ने एक वसीयत नामा निष्पादित कर प्रतिवादी सं. 1 के हक में वसीयत कर लिखा पढी कर दी गई जो दस्तावेज प्रदर्श 4 है। उक्त वसीयत के आधार पर खातेदार श्रीमती उदयकुंवर के मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम जरिये नामान्तरकरण से दर्ज हो गई जो दस्तावेज प्रदर्श 5 है।

12. उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के माता उदयकुंवर के नाम दर्ज थी, जिसे उदयकुंवर को उपयोग–उपभोग करने का पुरा अधिकार था, जिस हैसियत से खातेदार उदयकुंवर ने जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 19.06.1967 से वादी के पक्ष में दान कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तभी से उक्त भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। भूमि वादी के नाम पर दर्ज नहीं हुई एवं सेटलमेन्ट हो जाने से भूमि के नये नम्बर पड गये। नये नम्बर होने से खातेदार उदयकुंवर ने अपने नाम दर्ज भूमि को प्रतिवादी सं. 1 विमला कुमारी के पक्ष में वसीयत कर दी गई, जो वसीयत के आधार पर विमला कुमारी के नाम दर्ज हो चुकी है। जबकि कानूनी रूप से पूर्व में उक्त भूमि को खातेदार द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र से वादी के पक्ष में दान कर दी गई है, ऐसी स्थिति में दान करने के पश्चात उक्त भूमि पर श्रीमती उदयकुंवर का कोई हक अधिकार शेष नहीं रह जाता है। अतः ऐसी स्थिति में एक बार भूमि को स्थानान्तरण करने के पश्चात् बिना दस्तावेज को निरस्त कराये उक्त भूमि को किसी भी अन्य को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती हैं। अतः दान की गई भूमि का जो वसीयत नामा लिखा गया है वह कानूनी रूप से वादी के हक अधिकार तक शून्य साबित होता है।

13. उक्त भूमि पर वर्तमान खातेदार श्रीमती विमला कुमारी द्वारा दान पत्र पंजीकृत होकर आज दिनांक तक वादी का कब्जा होना स्वीकार किया है, एवं दान पत्र को स्वीकार कर वादी के वाद को डिक्री किया जाने पर सहमती व्यक्त की गई है। वादी व प्रतिवादीया दोनो ही वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाने पर सहमत है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:17:45 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमति अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 किता 5 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि को खातेदार श्रीमती विमला कुमारी के बजाय वादी श्री शिवदयालसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:17:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री शिवदयालसिंह पिता उदयसिंह राणावत निवासी धनेरिया तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती विमला कुमारी पत्नी स्व. उदलसिंह उर्फ उदयसिंह राजपूत निवासी नागानगरी सुहागनवाडी उदयपुर हाल धनेरिया हवेली भट्टीयानी चौहटा, उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 276/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमति अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 किता 5 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि को खातेदार श्रीमती विमला कुमारी के बजाय वादी श्री शिवदयालसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.09.2020 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:17:45 IST
Reason: SelfAttested